175 69 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सी डी ए पैटर्न अपनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों में छोटा परिवार मानदंड के प्रोत्साहन हेतु प्रोत्साहन राशि:

69 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में सी डी ए पैटर्न अपनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में तारीख 13/8/1999 के इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय आदेश के अनुक्रम में, अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि सरकार ने सी डी ए पैटर्न अपनाने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को छोटा परिवार मानदंड प्रोत्साहन राशि का लाभ निम्नानुसार देने का निर्णय लिया हैरू–

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों जिन्होंने 1 जनवरी, 1996 के पहले नसबंदी करवाई भी और संशोधन पूर्व वेतन पा रहे थे, को वैयाक्तिक वेतन के रूप में वर्तमान में स्वीकार्य विशेष वेतनवृद्धि संबंधित कर्मचारी के उस पद के समतुल्य संशोधित वेतनमान में लागू न्यूनतम वेतनवृद्धि की दर से संशोधित होगी, जिस पर उसे लागू संशोधिन पूर्व वेतनमान पर प्रारंभ में वैयक्तिक वेतन मिला था।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी, 1996 के बाद नसबंदी करवाई है और संशोधित वेतनमान में आने का विकल्प दिया है, भी नसबंदीकरण करवाते समय लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतनवृद्धि दर के समतुल्य विशेष वेतनवृद्धि के हकदार होंगे।

(ग) तथापि, वे कर्मचारी जिन्होंने संशोधिन पूर्व वेतनमान लेने का विकल्प दिया है, संबंधित संशोधन पूर्व वेतनमान में लागू न्यूनतम वेतनवृद्धि की दर से ही केवल विशेष वेतनवृद्धि के हकदार होंगे। यह लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतनवृद्धि की दर के समतुल्य केवल तभी संशोधित होगा, जब वे वेतनमान में चले जाएंगे।

(घ) इसके पश्चात वैयक्तिक वेतन को संशोधित परिवार नियोजन भत्ता कहा जाएगा।

(ङ) छोटा परिवार मानदंड अपनाने के लिए परिवार नियोजन भत्ता भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र के केवल इन कर्मचारियों को स्वीकार्य होगा जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे नहीं हैं।

2 इस प्रोत्साहन राशि को मंजूर करने पर लागू होने वाली सभी अन्य शर्तें व अनुबंध आगे लागू रहेंगी।

3. जिस तिथि से सरकारी कर्मचारी केन्दीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन), 1997 के अनुसार संशोधित वेतनमान में वेतन पाता है, उसी तिथि से यह आदेश प्रभावी होगा।

4. सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों से अनुरोध है कि वे सभी सार्वजनिक उपक्रमों के सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए उक्त तथ्य उनके नोटिस में लाएं।

(लोक उद्यम विभाग का तारीख 20 सितम्बर, 1999 का कार्यालय ज्ञापन सें.2(42)/97 लोक. उद्यम विभाग (डब्ल्यू सी) जी xiii)